// कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/26 दिनांकः– 07/04/2021

–:कार्यवाही विवरणः–

विषयः– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 03/2021 वीं बैठक दिनांक 24.03.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :–(24.03.2021)

विषय :– भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 02/2021 वीं बैठक दिनांक 10.03.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :– **समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी। उक्त कार्यवाही विवरण के तीन प्रकरणों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–**

1. एजेण्डा संख्या 9 में लिये गये निर्णय की पंक्ति संख्या 4 में सहवन से "अतः विचार विमर्श बाद निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान आगामी बैठक किये जाने का निर्णय लिया गया" अंकित हो गया था। उक्त को "अतः विचार विमर्श बाद निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया" पढा जावें।
2. एजेण्डा संख्या 41 (राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/6 रकबा 01.15.14 बीघा में से 00.17.09 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ, आवेदक :–श्री प्रियंक भण्डारी पुत्र श्री सुपारस भण्डारी) एवम् एजेण्डा संख्या 42 (राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/6 रकबा 01.15.14 बीघा में से 00.18.05 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ, आवेदक :–श्रीमती रीमा भण्डारी पत्नी श्री प्रियंक भण्डारी) में सहखातेदारी भूमि होने तथा एक ही खसरे के टुकड़े प्रस्तावित होने के कारण पूर्व बैठक में पृथक–पृथक अनुमोदित किये जाने के स्थान पर दोनों आवेदकों से संयुक्त आवेदन जोन स्तर पर प्राप्त करते हुए तदानुसार 90/क आदेश में संशोधन करते हुए संयुक्त ले–आउट प्लान जारी करने एवम् खसरा संख्या 25/6 सम्पूर्ण का एकल पट्टा विलेख जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 2 :–(24.03.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 767/1 रकबा 07.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री बिरमाराम पुत्र श्री रावतराम

निर्णय :– **प्रकरण में मुख्य सडक से आवेदित भूमि तक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 40 फीट उपलब्ध नही होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 3 :–(24.03.2021) जोन–पूर्व

विषय :– राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 36 व 39/3 के 06.03.00 बीघा के आवासीय (सी.एम. जे.वाई के प्रावधान 3 बी के तहत) प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– मै. आशापूर्णा बिल्डकॉन लि. जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर श्री करणसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह एवं सुप्रिया कंवर पत्नी श्री करणसिंह

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्रस्तुत ले–आउट प्लान में दर्शित भूखण्ड संख्या 43 से 50 के पूर्व दिशा में अन्य योजना (खसरा संख्या 34 मिन, 37/1, 37 मिन व 37/2) के अनुमोदित ले–आउट प्लान अनुसार पार्क दर्शित है, तथा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में दर्शित पार्क के पूर्व दिशा में अन्य योजना (खसरा संख्या 34 मिन, 37/1, 37 मिन व 37/2) के भूखण्ड संख्या 67 से 72 स्थित है।

अतः आवासीय क्षेत्र एवम् पार्क के मध्य 10 फीट पाथ्वे रखते हुए संशोधित मानचित्र लिया जावें।

2. प्रश्नगत भूमि को अन्य योजना की 40 फीट सडक से पहुँच मार्ग प्राप्त होता है अतः उक्त सडक का एलाईमेंन्ट का मिलान करते हुए सडक 40 फीट रखी जानी है।
3. सीएमजेवाई के तहत प्रार्थी से विस्तृत डीपीआर प्राप्त की जाकर प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी से प्रोजेक्ट की स्वीकृति ली जावें।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यो की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. बिन्दु संख्या 1 के अनुसार प्रार्थी द्वारा संशोधित मानचित्र यदि 15 दिवस में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले–आउट प्लान जारी किया जावें। अन्यथा प्रकरण को आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावें।

एजेण्डा संख्या 4 :–(24.03.2021) जोन–पश्चिम

विषय :– राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 652/20 रकबा 01.10.00 बीघा के लघु उद्योग (एकल भूखण्ड) प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।
आवेदक :– श्री भलाराम पुत्र श्री झुमरराम मेघवाल

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. आवेदित भूमि जोधपुर–तिंवरी मार्ग पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 160 रखते हुए मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. प्रार्थी से प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित प्रयोजन हेतु डी.पी.आर/प्रस्ताव प्राप्त किये जावें एवं लघु उद्योग स्थापना हेतु संबंधित विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 5 :–(24.03.2021) जोन–उत्तर

विषय :– राजस्व ग्राम उम्मेद नगर के खसरा संख्या 72/9 रकबा 05.19.00 बीघा के शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री संजय पुत्र श्री शिव चारण

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. आवेदित भूमि ओसियॉ–नागौर जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावें तथा तत्पश्चात् 100 फीट वृक्षारोपण पटटी रखी जावें। साथ ही आवदेक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार आवेदित भूमि के उत्तर–पश्चिम दिशा में 30 फीट सडक प्रस्तावित किया गया है। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजनार्थ एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व आवेदित भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
3. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 6 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 316, 317, 319/1 व 332 रकबा 28.09.00 बीघा में से स्वयं के हिस्से की 01.00.00 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री प्रवीण खत्री पुत्र डा. एम.एल खत्री

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में संयुक्त खातेदारी भूमि है तथा प्रार्थी के नाम म्यूटेशन दर्ज नही है। साथ ही आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंन्ट प्लान 2031 अनुसार 200 फीट प्रस्तावित होने के कारण तथा सडक मार्गाधिकार उपरान्त निर्माण योग्य क्षेत्रफल प्राप्त नही होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 7 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/31 रकबा 01.14.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री हेमादेवी पत्नी श्री शिवभगवान

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांकःप. 18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावें।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।

4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 8 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/64 रकबा 01.06.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री दिनेश कुमार पटेल पुत्र श्री वीरचन्द पटेल, श्री कुनाल पटेल पुत्र श्री रणछोडदास पटेल

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार 25 फीट त्रिज्या की गोलाई रखी जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 9 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/19 रकबा 01.11.01 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री कुलदीप जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश कमांकःप. 18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में

अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावें।

3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 10 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/29 रकबा 00.14.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री हितेश पुत्र श्री दिनेश भाई पटेल

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय मे कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 11 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/24 रकबा 01.11.01 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री राजेश जैन पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जैन

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।

2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 12 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1059/740/05 रकबा 00.02.06 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री सर्वेश लोढा पुत्र श्री हेमन्त लोढा

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 13 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1059/740/06 रकबा 00.04.04 बीघा में से 00. 02.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री मोहित जैन पुत्र श्री गौतमचन्द जैन

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में सहखातेदारी भूमि के भाग हेतु एक खातेदार द्वारा आवेदन किया गया है। अतः प्रकरण में सहखतेदारों द्वारा संयुक्त आवेदन करने पर पुर्नविचार किये जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 14 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1059/740/06 रकबा 00.04.04 बीघा में से 00. 02.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री मनीष मेडतिया पुत्र श्री लाभचन्द जैन

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में सहखातेदारी भूमि के भाग हेतु एक खातेदार द्वारा आवेदन किया गया है। अतः प्रकरण में सहखतेदारों द्वारा संयुक्त आवेदन करने पर पुर्नविचार किये जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 15 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1088/740/05 रकबा 01.05.12 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री श्याम वैद्य पुत्र श्री केदारनाथ वैद्य

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने पश्चिम दिशा में व दक्षिण दिशा में सड़क का मार्गाधिकार क्रमशः 100 फीट व 60 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकारों हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. आवेदित भूमि कॉर्नर भूखण्ड है, अतः नियमानुसार 30 फीट त्रिज्या की गोलाई रखी जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 16 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/12 रकबा 01.06.14 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री भरत रामनानी पुत्र श्री रमेश

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सडक का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष मे निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 17 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 103/32 रकबा 02.03.14 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री रितेश मोहनोत पुत्र श्री सुरेन्द्र मोहनोत

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति किये गये निर्माण हेतु राज्य सरकार के आदेश कमांकःप. 18(25)नविवि/सामान्य/2014 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार नियमानुसार 1 साल में अवैद्य निर्माण को हटाये जाने एवं उक्त संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र जोन स्तर पर प्राप्त किया जावें।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 18 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 73/3 रकबा 06.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री मुनिया देवी पत्नी श्री सन्तोकसिंह

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट (मध्य से 50–50 फीट दोनों ओर) रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।

4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 19 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम लूणावास कलां के खसरा संख्या 12/2 रकबा 13.00.00 बीघा के कृषि आधारित वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्री मोहनराम पुत्र श्री तेजाराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः–**

1. आवेदित भूमि जोधपुर–बाडमेंर मुख्य सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार राजस्व रास्ता होने के कारण सडक के मध्य बिन्दु से आवेदित भूमि की तरफ 132 फीट तथा दूसरी तरफ सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट रखा जावे। सडक मार्गाधिकार उपरांत 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी रखी जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 5 के कम में प्रारूप–7 में की गई रिपोर्ट के संबंध में जोन से स्पष्ट टिप्पणी प्राप्त की जावें।
3. आवेदक द्वारा कृषि आधारित वेयर हाउस हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः संबंधित विभाग/एजेन्सी से रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवाने के उपरांत ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
4. आवेदित भूमि पर दोनों पार्श्व व पीछे की ओर न्यूनतम 9–9 मीटर सेटबैक रखे जाने होगें। सेटबेक क्षेत्र पूरी तरह से खुला रखा जावें, जो अग्निसुरक्षा गलियारे के रूप में काम में लिया जावें।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 20 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सरेंचा के खसरा संख्या 446/2, 446/3 रकबा 14.16.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती गजरा पत्नी श्री नगाराम

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–**

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को कटाणी मार्ग से पहुंच प्राप्त होता है जिसका सडक मार्गाधिकार 100 फीट (मध्य से 50–50 फीट दोनों ओर) रखा जावें। इस बाबत् राज्य सरकार के आदेश के क्रम में नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति आमंत्रित की जावें।

2. आवेदित भूमि का पूर्व में कृषि आधारित उद्योग हेतु 90—क आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण चाहा गया है, अतः नियमानुसार 90—क में संशोधन की कार्यवाही जोन स्तर से की जावे।
3. एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 7 के कम में प्रारूप—7 में की गई रिपोर्ट के संबंध में जोन स्तर से नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जावें।
4. आवेदित भूमि के समीप स्थित रेलवे लाईन के परिप्रेक्ष्य में रेलवे सीमा से 100 फीट दूरी का अंकन मानचित्र पर जोन पटवारी / कनिष्ठ अभियंता से करवाया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 21 :—(24.03.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम खेडा सरेंचा के खसरा संख्या 777, 777 / 1 रकबा 18.08.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :— श्री नगाराम के फोत होने पर श्रीमती गजरा पत्नी स्व. श्री नगाराम

निर्णय :— **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:—**

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को कटाणी मार्ग से पहुंच प्राप्त होता है जिसका सडक मार्गाधिकार 100 फीट (मध्य से 50—50 फीट दोनों ओर) रखा जावें। इस बाबत् राज्य सरकार के आदेश के क्रम में नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति आमंत्रित की जावें।
2. आवेदित भूमि का पूर्व में कृषि आधारित उद्योग हेतु 90—क आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण चाहा गया है, अतः नियमानुसार 90—क में संशोधन की कार्यवाही जोन स्तर से की जावे।
3. एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 7 के कम में प्रारूप—7 में की गई रिपोर्ट के संबंध में जोन स्तर से नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जावें।
4. आवेदित भूमि के समीप स्थित रेलवे लाईन के परिप्रेक्ष्य में रेलवे सीमा से 100 फीट दूरी का अंकन मानचित्र पर जोन पटवारी / कनिष्ठ अभियंता से करवाया जावें। साथ ही निदेशक आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त रेलवे सीमा के उपरांत सम्पूर्ण भूमि का भू—उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुसार कार्यवाही की जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 22 :—(24.03.2021) जोन—दक्षिण

विषय :— राजस्व ग्राम सरेंचा के खसरा संख्या 446 / 4 रकबा 07.09.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :— श्री रमेश पारख पुत्र स्व. श्री हस्तीमल पारख जरिये आममुख्त्यार श्री शिवाराम पुत्र श्री जोगाराम

निर्णय :— **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:—**

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को कटाणी मार्ग से पहुंच प्राप्त होता है जिसका सडक मार्गाधिकार 100 फीट (मध्य से 50—50 फीट दोनों ओर) रखा जावें। इस बाबत् राज्य सरकार के आदेश के क्रम में नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति आमंत्रित की जावें।
2. आवेदित भूमि का पूर्व में कृषि आधारित उद्योग हेतु 90—क आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण चाहा गया है, अतः नियमानुसार 90—क में संशोधन की कार्यवाही जोन स्तर से की जावे।
3. एजेण्डा नोट के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में प्रारूप—7 में की गई रिपोर्ट के संबंध में जोन स्तर से नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जावें।

4. आवेदित भूमि के समीप स्थित रेलवे लाईन के परिप्रेक्ष्य में रेलवे सीमा से 100 फीट दूरी का अंकन मानचित्र पर जोन पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से करवाया जावें। साथ ही निदेशक आयोजना द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त रेलवे सीमा के उपरांत सम्पूर्ण भूमि का भू–उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुसार कार्यवाही की जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 23 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम खारडा भाण्डू के खसरा संख्या 13/2 रकबा 05.00.00 बीघा के नॉन पाल्यूटेड हेण्डीकाफ्ट इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती भगवती सरगरा पत्नी श्री कालूराम सरगरा

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–**

1. आवेदित भूमि का पूर्व में कृषि आधारित उद्योग हेतु 90–क आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण चाहा गया है, अतः नियमानुसार 90–क में संशोधन की कार्यवाही जोन स्तर से की जावे।
2. आवेदित भूमि मिश्रित भू–उपयोग प्रयोजनार्थ आरक्षित है तथा प्रार्थी द्वारा नॉन पाल्यूटेड हैण्डीक्राफ्ट इण्डस्ट्रीज हेतु आवेदन किया गया है। अतः फायर सेफ्टी तथा अन्य सुरक्षात्मक प्रावधानों की सुनिश्चितता करने तथा भविष्य में मिश्रित उपयोग में आस–पास आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थानिक आदि गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम, 2020 अनुसार सेटबैक तथा आच्छादित क्षेत्र का प्रावधान किया जावें। उपरोक्तानुसार मानचित्र में सेटबैक आदि का अंकन कर आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किये जावें। भविष्य में भी मिश्रित भू–उपयोग में इस प्रकार के प्रकरणों में सेटबैक आदि का प्रावधान राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम, 2020 अनुसार किया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता उपरांत प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 24 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1965/1029 रकबा 00.12.16 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– कुमारी प्रज्ञा लढ्ढा पुत्री श्री नेमीचन्द लढ्ढा

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के मौके पर निर्माण की वर्तमान स्थिति प्राप्त की जावें।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 25 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम जोधपुर–दक्षिण के खसरा संख्या 1029 / 740 / 7 रकबा 00.12.16 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– श्रीमती मंजु लढ्ढा पत्नी श्री नेमीचन्द लढ्ढा

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदित भूमि के मौके पर निर्माण की वर्तमान स्थिति प्राप्त की जावें।
3. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 26 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 49, 49 / 27, 49 / 28, 49 / 29 रकबा 05–16–12–14 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– मैसर्स अग्रवाल ब्रदर्स प्रो. श्री विजय अग्रवाल पुत्र श्री रामअवतार, मैसर्स ए.बी लॉजिस्टिक प्रो. श्रीमती पारूल अग्रवाल पत्नी श्री कुंजबिहारी अग्रवाल

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लॉन अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में हुए कमिटमेंन्ट तथा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 48 मीटर अर्थात 160 फीट रखा जावें। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले–आउट प्लान जारी किया जावें।
2. मास्टर प्लान की डीसीआर अनुसार सभी प्रकार की Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय है। अतः इस संबंध में आवेदक से शपथ–पत्र प्राप्त करते हुए तथा पट्टा विलेख जारी करते समय उक्त का अंकन जोन स्तर पर सुनिश्चितता की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 27 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 97 के भूखण्ड संख्या 46, 47, 48, 49 व 58, 59, 60, 61 कुल क्षैत्रफल 2276.66 वर्गगज के संयुक्तीकरण बाबत्।
आवेदक :– श्री अमिताभ जोशी पुत्र श्री रामप्रसाद जोशी

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण को एजेण्डा में उल्लेखित समस्त तथ्यों को सम्मिलित करते हुए अनुशंसा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 27 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम चौखा वैशाली टॉउनशिप के खसरा संख्या 693/1 के वाणिजियिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या सी/3 कुल क्षैत्रफल 4666.66 वर्गगज का उपविभाजन पश्चात् संयुक्तीकरण बाबत्।
आवेदक :– श्री अर्जुन तेजवानी पुत्र श्री दयाराम जी व अन्य।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श प्रकरण में कोई नवीन तथ्य नहीं होने के कारण पूर्व में भवन मानचित्र अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 31.01.2020 में लिये गये निर्णय को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 28 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 42/1/1, 33/1 व 33/2 रकबा 35.08.00 बीघा के आवासीय प्रयोजनार्थ बाबत्।
आवेदक :– अंसल प्रोपर्टीज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:–**

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में जोजरी नदी के सहारे सहारे 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान रखा जावें।
2. आवेदित भूमि के मध्य स्थित गै0मु0 नाडी की सुरक्षा हेतु एक तरफ वृक्षारोपण पट्टी स्थित होने तथा शेष तीनों तरफ सड़क का प्रावधान किया जावें। साथ ही नाडी में पानी का बहाव अवरूद्ध न हो, कि सुनिश्चितता हेतु प्रार्थी से शपथ पत्र जोन स्तर से प्राप्त किया जावें तथा नाडी (खसरा संख्या 74) एवं खसरा संख्या 35, रकबा 00.03.00 बीघा गै.मु. बेरा के क्षेत्रफल को कुल क्षेत्रफल की गणना में शामिल नहीं किया जावें।
3. प्रश्नगत योजना टाउनशिप पॉलिसी, 2002 के प्रावधानों अनुसार अनुमोदित की गई है तथा जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त योजना के जोजरी नदी के पास होने तथा वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान नहीं होने के कारण वर्ष 2006 से आदिनांक तक पट्टा विलेख जारी नहीं किये गये है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तावित संशोधित मानचित्र को टाउनशिप पॉलिसी, 2002 के प्रावधानों अनुसार अनुमोदित किया जावें। शेष शर्ते कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा पूर्व अनुमोदन अनुसार रहेगी।
4. मौके पर निर्माण के संबंध में कनिष्ठ अभियन्ता से रिपोर्ट प्राप्त की जावें।
5. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 29 :–(24.03.2021) जोन–दक्षिण

विषय :– राजस्व ग्राम विवेक विहार योजना के सेक्टर ई में व्यवसायिक भूखण्ड ई–1/160/14 व ई–1/160/17 क्रमशः रकबा 449.16 व.ग. के क्षेत्रफल में संशोधन बाबत्।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श समिति द्वारा कनिष्ठ अभियंता व जोन द्वारा मौका स्थिति अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 30 :–(24.03.2021) जोन–उत्तर (अतिरिक्त एजेण्डा)

विषय :– राजस्व ग्राम थबुकड़ा, रजासनी, बुद्धनगर, गुजरावास खुर्द, दईजर एवं भैंसेर चावण्डियाली के क्रमशः खसरा संख्या 489/17, 47, 1113, 132, 105 व 53 में ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन के क्रम में।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श समिति द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 में उल्लेख अनुसार "Government/Public Utilities are permissible on all roads after approval from competent authority" के क्रम में व्यापक जनहित में राजस्व ग्राम थबुकड़ा, रजासनी, बुद्धनगर, गुजरावास खुर्द, दईजर एवं भैंसेर चावण्डियाली के क्रमशः खसरा संख्या 489/17, 47, 1113, 132, 105 व 53 के मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग, ग्रामीण क्षेत्र, आवासीय, यू–2 भू–उपयोग में ग्राम पंचायत भवन उपयोग अनुज्ञेय किया जाने का निर्णय लिया गया।**

एजेण्डा संख्या 31 :–(24.03.2021) जोन–पूर्व (अतिरिक्त एजेण्डा)

विषय :– राजस्व ग्राम आथकली, घिगांणा, उचियारडा, कोकुण्डा एवं रूडकली के क्रमशः खसरा संख्या 313, 192, 05, 299 व 53 में ग्राम पंचायत भवन हेतु भूमि आवंटन के क्रम में।

निर्णय :– **समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार–विमर्श समिति द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 में उल्लेख अनुसार "Government/Public Utilities are permissible on all roads after approval from competent authority" के क्रम में व्यापक जनहित में राजस्व ग्राम आथकली, घिगांणा, उचियारडा, कोकुण्डा एवं रूडकली के क्रमशः खसरा संख्या 313, 192, 05, 299 व 53 के मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग, ग्रामीण क्षेत्र, आवासीय, यू–2 भू–उपयोग में ग्राम पंचायत भवन उपयोग अनुज्ञेय किया जाने का निर्णय लिया गया।**

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

7/4/2021 07/04/21

उप नगर नियोजक (प्रथम/द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2021/27 – 30 दिनांक:– 07/04/2021

प्रतिलिपी :– निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।

5. एसीपी / एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उप नगर नियोजक (प्रथम / द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 03 / 2021 वीं बैठक दिनांक 24.03.2021 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

1. श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3. श्री राजेश वर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4. श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5. श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6. श्री नीरज मिश्र, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
7. श्रीमती कंचन राठौड, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
8. श्री राजेन्द्र सिंह चांदावत, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर	सदस्य
9. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव
10. श्री लोकेन्द्र शिव मीणा, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

उप नगर नियोजक (प्रथम / द्वितीय)
एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर